

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 106/2017

1. राम गोपाल } पुत्रान श्री सेवाराम जाति कुम्हार निवासी लाधुवाला तहसील व जिला
2. सुनील कुमार } श्रीगंगानगर।
3. मनोज कुमार } पुत्रान श्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी लाधुवाला तहसील व जिला
4. राज कुमार } श्रीगंगानगर।

-- वादीगण

--:: बनाम ::--

1. सोनादेवी उर्फ सोनीदेवी बेवा अमरचन्द उर्फ अमरराम जाति कुम्हार निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रामेश्वर पुत्र अमरचन्द
3. सेवाराम पुत्र अमरचन्द
4. लिछमादेवी पत्नी सेवाराम
5. विमला देवी रामेश्वर
6. उर्मिला पुत्री सेवाराम पत्नी सन्दीप जाति कुम्हार निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. शकुन्तला पुत्री सेवाराम पत्नी राजवीर जाति कुम्हार निवासी ढावा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. ममता पुत्री रामेश्वर पत्नी श्री दिनेश जाति कुम्हार निवासी बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. सुनीता पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. कविता पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वयं

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 20.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, तहसील श्रीगंगानगर के चक 23 एल.एन.पी. की खतौनी संख्या 38/35 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 21 सालम किला नम्बर 22/1 में 0.126 हैक्टर कुल 2.403 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15, 16, 25 में 0.759 हैक्टर कुल 3.162 हैक्टर रकबा नहरी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम.एल. की खतौनी संख्या 4/3 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 17 सालम, 18/1 में 0.190 हैक्टर कुल 0.433 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 37

लगातार \_\_\_\_\_ 2

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

के किला नम्बर 11 ता 25 में 3.605 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 9/2 में 0.127 हैक्टर किला नम्बर 10, 11, 12 सालम, 19/1 में 0.013 हैक्टर किला नम्बर 20 सालम कुल 1.152 हैक्टर कुल तीनों मुरब्बों में 5.200 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम.एल. की खतौनी संख्या 54/29 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 1.265 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 7, 11 ता 14, 19 व 20 में 2.341 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 ता 25 में 3.720 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5, 10 कुल 1.518 हैक्टर कुल 8.844 हैक्टर नहरी मय खाला मैय गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम.एल. की खतौनी संख्या 55/56 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6 ता 9 सालम 25 में 0.190 हैक्टर कुल 1.202 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 2 सालम, 9/1 में 0.126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर दोनों मुरब्बों में 1.834 हैक्टर नहरी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है

उपरोक्त समस्त रकबा दोनो चकों व कई खातों में पड़ता है जो पुराना श्री पन्नाराम के नाम से व कुछ रकबा कालान्तर में वादीगण के दादा श्री अमरचन्द के नाम से खरीद किया गया है जो जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद होने के कारण जद्दी जायदाद है। वह रकबा प्रतिवादीगण को विरास्तन प्राप्त हुआ है। जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का इसमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है। जिसे वह पाने का अधिकारी है।

उपरोक्त साझा खाता की समस्त भूमि सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है क्योंकि रकबा प्रतिवादीगण के नाम है इसलिये रकबा वादीगण के नाम नहीं होने से लगान व आबियाना देने में पानी की भराई खिचाई में कई प्रकार की कानूनी दिक्कत आती है तथा बैंक ऋण सुविधा सरकारी अनुदान का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है इस कारण हक व हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाना आवश्यक व जरूरी हो जाता है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की सहूलियत अच्छी आबपासी हक व हिस्सा अनुसार परिवार के बीच में सौहादपूर्ण वातावरण में आपसी प्रेमभाव कायम रखते हुए करीबन 2 वर्ष पूर्व घरू बंटवारा कर लिया था इस घरेलु बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा पर काबिज है तथा इस घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा का काबिज है तथा अपने रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

घरू बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया :-

1. वादी संख्या 1 रामगोपाल का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11 सालम 12 में 0.065 हैक्टर कुल 2.595 हैक्टर अर्थात 10.05 बीघा।
2. वादी संख्या 2 सुनील का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6 ता 9 सालम, 10 में 0.078 हैक्टर चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 9, ता 12, 19 में 1.771 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.127 हैक्टर कुल 12.16 बीघा अर्थात 3.241 हैक्टर।
3. वादी संख्या 3 मनोज कुमार का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 6 में 0.127, 7 में 0.126 हैक्टर किला नम्बर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 ता 15 में 1.265 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर।

AR  
3


4. वादी संख्या 4 राजकुमार का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 7 में 0.253 किला नम्बर 11 में 0.125, 12 में 0.125, 13 में 0.125 किला नम्बर 14 में 0.190 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम किला नम्बर 10 में 0.177 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.260 हैक्टर।
5. प्रतिवादी संख्या 1 सोनादेवी का हिस्सा :- चक 19 एल.एल. मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 17 में .253, 18 में .190, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 में .190, 19 में 0.013 किला नम्बर 20 में .253, इस प्रकार कुल 0.889 हैक्टर।
6. प्रतिवादी संख्या 2 सेवाराम का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 11 ता 20 में 2.530 हैक्टर।
7. प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर।
8. प्रतिवादी संख्या 4 लिछमा का हिस्सा :- चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 20, 21 सालम, 22 में 0.127 मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.126, किला नम्बर 16, 25 सालम कुल 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265 हैक्टर।
9. प्रतिवादी संख्या 5 विमला का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टर, किला नम्बर 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.125 हैक्टर किला नम्बर 19 में 0.125 हैक्टर, 20 में 0.253 हैक्टर कुल 1.520 हैक्टर।
10. प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

वादीगण नें कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में उसका इन्द्राज करवानें के लिये आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि सबका खाता विभाजन हो जाये। पहले तो आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये है और कहनें लगे कि हम तो घरू बंटवारा को नहीं मानते है और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमति के ब्यान करते है। बस यही बिनाय दावा है जो कि वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ हासिल हुआ है।

प्रतिवादीगण को इस बात ईल्म होनें पर कि रकबा आज भी उनके नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है उनके मन में बदनियती आ गई है और वह इस रकबा को रहन बैय करनें की फिराक में है अगर वह इस मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी तरह के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। वादीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जायेगे। व आईन्दा मुकद्मा बाजी बड़ेगी। इस कारण प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है।

अतः दावा पेश करके निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

1. घोषित किया जावे के वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 10 में दर्ज रकबा के खातेदार काश्तकार है
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना कायम किया जावे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे रकबा को रहन बैय नहीं करें मौका एवम् रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखी जावे।
5. अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के हित में हो प्रदान की जावे।



Handwritten signature and text at the bottom of the page.

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लाधुवाला में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये उभयपक्ष की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत लाधुवाला द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, इस राजीनामा के अनुसार अपने अपने हक व हिस्सा पर काबिज है। राजीनामा अनुसार रकबा निम्नानुसार आया है :-

1. प्रथम पक्षकार संख्या 1 रामगोपाल का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नंबर 37 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11 सालम 12 में 0.065 हैक्टर कुल 2.595 हैक्टर अर्थात 10.05 बीघा।
2. प्रथम पक्षकार संख्या 2 सुनील का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6 ता 9 सालम, 10 में 0.078 हैक्टर चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 9, ता 12, 19 कुल 1.771 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.127 हैक्टर कुल 1.898 हैक्टर इस प्रकार दोनो चकों की कुल 12.16 बीघा अर्थात 3.241 हैक्टर।
3. प्रथम पक्षकार संख्या 3 मनोज कुमार का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 6 में 0.127, 7 में 0.126 हैक्टर किला नम्बर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 ता 15 में 1.265 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर।
4. प्रथम पक्षकार संख्या 4 राजकुमार का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 7 में 0.253 किला नम्बर 11 में 0.125, 12 में 0.125, 13 में 0.125 किला नम्बर 14 में 0.190 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम किला नम्बर 10 में 0.177 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.260 हैक्टर।
5. द्वितीय पक्षकार संख्या 1 सोनादेवी का हिस्सा :- चक 19 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 17 में .253, 18 में .190, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 में .190, 19 में 0.013 किला नम्बर 20 में .253, इस प्रकार कुल 0.889 हैक्टर।
6. द्वितीय पक्षकार संख्या 2 सेवाराम का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 11 ता 20 में 2.530 हैक्टर।
7. द्वितीय पक्षकार संख्या 3 रामेश्वर का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर।
8. द्वितीय पक्षकार संख्या 4 लिछमा का हिस्सा :- चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 20, 21 सालम, 22 में 0.127 मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.126, किला नम्बर 16, 25 सालम कुल 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265 हैक्टर।
9. द्वितीय पक्षकार संख्या 5 विमला का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टर, किला नम्बर 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.125 हैक्टर किला नम्बर 19 में 0.125 हैक्टर, 20 में 0.253 हैक्टर कुल 1.520 हैक्टर।
10. द्वितीय पक्षकार संख्या 6 ता 10 नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित की जावे उक्तराजीनामा पक्षकारान नें अपनी स्वेच्छा सहमति तथा बिना किसी जबर दबाव के अपनी इच्छा से पढ़ सुन समझ व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चूँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होने से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी रामगोपाल पुत्र सेवाराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. प्रथम पक्षकार संख्या 1 रामगोपाल का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नंबर 37 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11 सालम 12 में 0.065 हैक्टर कुल 2.595 हैक्टर अर्थात 10.05 बीघा।
2. प्रथम पक्षकार संख्या 2 सुनील का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6 ता 9 सालम, 10 में 0.078 हैक्टर चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 9, ता 12, 19 कुल 1.771 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.127 हैक्टर कुल 1.898 हैक्टर इस प्रकार दोनो चकों की कुल 12.16 बीघा अर्थात 3.241 हैक्टर।
3. प्रथम पक्षकार संख्या 3 मनोज कुमार का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 6 में 0.127, 7 में 0.126 हैक्टर किला नम्बर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 ता 15 में 1.265 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर।
4. प्रथम पक्षकार संख्या 4 राजकुमार का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 7 में 0.253 किला नम्बर 11 में 0.125, 12 में 0.125, 13 में 0.125 किला नम्बर 14 में 0.190 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम किला नम्बर 10 में 0.177 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.260 हैक्टर।
5. द्वितीय पक्षकार संख्या 1 सोनादेवी का हिस्सा :- चक 19 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 17 में .253, 18 में .190, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 में .190, 19 में 0.013 किला नम्बर 20 में .253, इस प्रकार कुल 0.889 हैक्टर।
6. द्वितीय पक्षकार संख्या 2 सेवाराम का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 11 ता 20 में 2.530 हैक्टर।
7. द्वितीय पक्षकार संख्या 3 रामेश्वर का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

AB/6

8. द्वितीय पक्षकार संख्या 4 लिछमा का हिस्सा :- चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 20, 21 सालम, 22 में 0.127 मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.126, किला नम्बर 16, 25 सालम कुल 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265 हैक्टर।
9. द्वितीय पक्षकार संख्या 5 विमला का हिस्सा :- चक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टर, किला नम्बर 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.125 हैक्टर किला नम्बर 19 में 0.125 हैक्टर, 20 में 0.253 हैक्टर कुल 1.520 हैक्टर।
10. द्वितीय पक्षकार संख्या 6 ता 10 नें जददी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 20.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम ग्राम पंचायत लाधुवाला के मजमे आम में सुनाया गया।



(यशपाल आहूजा)  
उपरखण्ड अधिकारी (एवम्)  
पदेन सहायक कलक्टर  
श्रीगंगानगर